(वाद सं०–92/4/26/2021)

09.11.2022

परिवादी, शोभा कुमारी, अपने विद्वान अधिवक्ता, श्री अनुराग पाण्डेय, के साथ उपस्थित है।

परिवादी व उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, शोभा कुमारी, शिक्षिका, पंचायत प्राथमिक विद्यालय, बेलदरिया, बाढ., पटना को **अप्रैल 2011 से मई 2013** तक के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर जिला पदाधिकारी, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राज्य अपीलीय प्राधिकार, पटना द्वारा एक अपील संख्या–587/2017 के अन्तर्गत दिनांक–11.02.2019 को पारित आदेश के आलोक में पंचायत सचिव, एकडंगा, बाढ., पटना के द्वारा परिवादी को विद्यालय में पुर्नयोगदान का आदेश दिया गया। पुर्नयोगदान के पश्चात् परिवादी को अगस्त 2021 तक नियमित रूप से वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित परिवादी का कथन है कि उसे विद्यालय में पुर्नयोगदान देने के बाद नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

जहां तक परिवादी के अप्रैल 2011 से मई 2013 तक के बकाया वेतन के भुगतान का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा अपने दूसरे प्रतिवेदन में मामले से

सम्बन्धित तथ्यों का विस्तृत रूप से उल्लेख कर प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. संख्या–1110/2019 के अन्तर्गत दिनांक–15.10.2019 को पारित आदेश से सम्बन्धित अवमानना वाद के लंबित रहने के कारण परिवादी को फिलहाल उपरोक्त अवधि के बकाया वेतन का भुगतान करने में कठिनाई हो रही है।

आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित परिवादी व उनके विद्वान अधिवक्ता यह स्वीकार करते है कि मामले से सम्बन्धित अवमानना वाद में पारित निर्णय से प्रसंगाधीन मामला प्रभावित हो सकता है।

अब जबकि परिवादी को उसके विद्यालय में पुर्नयोगदान करने के पश्चात् नियमित रूप से वेतन का भुगतान हो रहा है साथ ही साथ अप्रैल 2011 से मई 2013 तक के अवधि के बकाया वेतन का मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में लंबित एक अवमानना वाद से आच्छादित है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले में राज्य आयोग के स्तर से उक्त के सम्बन्ध में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अवमानना वाद में पारित आदेश के आलोक में परिवादी के उपरोक्त अवधि के बकाया वेतन के भुगतान की कार्रवाई कर दी जायेगी।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 163–161/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक